रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1971/फाल्गुन 10, 1892

No. 175] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1971/PHALGUNA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 26th February, 1971

S.O. 999.—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1971.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957, in Form A, —

(*a*) for Annexures I, II, III, IV, V and VI, the following Annexures shall, respectively, be substituted, namely :—

"ANNEXURE I

(*See* Section A of Part I of this Return)

*Statement of agricultural lands located in India and held as assets of a business or profession carried on by the assessee**

@Description and situation	@Identification No. or number of plots under settlement records	Whether the land is situated in an urban area** Say 'Yes' or 'No'	Area in acres	Annual land revenue, if any	Estimated capital value on valuation date Rs.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Total value Rs.

Less : Amount exempt under Section 5(1)(iva) (to the extent not availed of against the value of agricultural lands in Annexure II) Rs.

Net value taken to Section A (Column 2) of Part I of this Return Rs.

ANNEXURE II

(*See* Section A of Part I of this Return)

*Statement of agricultural lands located in India, other than those included in Annexure I**

@Description and situation	@Identification No. or number of plots under settlement records	Whether the land is situated in an urban area** Say 'Yes' or 'No'	Area in acres	Annual land revenue, if any Rs.	Estimated capital value on valuation date Rs.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Total value Rs.

Less. Amount exempt under Section 5(1)(iva) . . . Rs.

Net value taken to Section A (column 3) of Part I of this Return Rs.

NOTE.—Please see note below Annexure V.

*Each item of agricultural land should be listed separately, one below the other.

@The description and situation of property should be such as to enable the property and its boundaries to be clearly identified. Plot No. or Survey No. in the settlement records and the name of village/tehsil in which the land is located should invariably be mentioned.

**Urban area means any area situated within the jurisdiction of a municipality (whether known as a municipality, municipal corporation, notified area committee, town area Committee, town committee or by any other name) or a cantonment board and having a population of not less than 10,000 persons or any area within a radius upto 8 kilometres outside the limits of any such municipality or cantonment board so notified in this behalf by the Central Government.

ANNEXURE III

(*See* Section A of Part I of this Return)

*Statement of immovable property (other than agricultural lands) located in India and held as assets of a business or profession carried on by the assessee**.

@Description and situation	@Identification No. of property	Whether the property is situated in an urban area** Say 'Yes' or 'No'	Annual value	Estimated capital value on valuation date
			Rs.	Rs.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Total value taken to Section A (column 2) Part I of this Return Rs.

ANNEXURE IV

(*See* Section A of Part I of this Return)

Statement of immovable property (other than agricultural lands) located in India, other than those included in Annexure III

@Description and situation	@Identification No. of property	Whether the property is situated in an urban area** Say 'Yes' or 'No'	Annual value	Estimated capital value on valuation date
			Rs.	Rs.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Total value Rs.

Less : Amount exempt under Section 5(1)(iv). . . . Rs.

Add : Amount representing the value of interest as a partner in a firm or as a member of an association of persons or the value of any shares in a closely-held company deemed to be 'urban assets' under rules 3 and 4£, respectively, in Paragraph B of Part I of the Schedule to the Wealth-tax Act. Rs.

Net Value taken to Section A (column 3) of Part I of this Return Rs.

NOTE.—Please see note below Annexure V.

*Each item of immovable property should be listed separately, one below the other. If immovable property consists of any right in land or buildings, the nature of the right and the extent thereof should be clearly stated.

@The description and situation of property should be such as to enable the property and its boundaries to be clearly identified.

**Urban area means any area situated within the jurisdiction of a municipality (whether known as a municipality, municipal corporation notified area committee, town area committee, town committee or by any other name) or a cantonment board and having a population of not less than 10,000 persons or any area within a radius up to 8 kilometres outside the limits of any such municipality or cantonment board so notified in this behalf by the Central Government.

£Under rule 3, where the net wealth of the assessee includes the value of his interest as a partner in a firm or as a member of an association of persons and the assets of such firm or association include building and land (other than business premises) or any right in such building or land situated in 'urban area', the interest of the assessee in such firm or association will be deemed to be an 'urban asset' to the extent determined by applying to the value of the assessee's interest in the firm or the association the same proportion as the value of urban assets possessed by the firm or the association bears to the net wealth of the firm or association.

Under rule 4, where the net wealth of the assessee includes the value of any share in a closely held company and the assets of such company include any urban assets, the value of such share will be deemed to be an 'urban' asset' to the extent determined by applying to the value of the share the same proportion which the net value of urban assets of the company bears to the net wealth of the company.

ANNEXURE V

(*See* Section B of Part I of this Return)

Statement of movable property located in India and held as assets of a business

	Description of the assets	Value (Rs.)
	1	2
1.	Plant and machinery	
2.	Furniture and fittings	
3.	Patent rights, copyrights, etc.	
4.	Vehicles	
5.	Stores, spare parts, tools and instruments	
6.	Stock in trade	
7.	Sundry Debtors	
8.	Loans and advances owing to the assessee	
9.	Cash in hand and at Bank	
10.	All other assets, except those on which wealth-tax is not payable .	
	TOTAL	

Less: Amount exempt to the extent mentioned in sub-section (1A) of section 5 [to the extent not availed of against the value of movable property (non-business assets) in Annexure VI].

Balance taken to Section B (column 2) of Part I of this Return

NOTE.—A copy of the balance-sheet or trial balance as on the valuation date or the date of the closing of accounts immediately preceding the valuation date and a copy of the auditor's report, if any, must be enclosed.

ANNEXURE VI

(*See* Section B of Part I of this Return)

Statement of movable property (non-business assets) located in India.

Description of the assets	Value Rs.
1	2
1. Deposits referred to in section 5(1)(xv).	
2. Investments referred to in section 5(1)(xvi)	
3. Government securities referred to in sec. 5(1)(xxii). . . .	
4 Shares in Indian Companies referred to in section 5(1)(xxiii)	
5. Debentures referred to in section 5(1)(xxiv)	
6. Units in the Unit Trust of India.	
7. Deposits in banks including co-operative banks, etc. referred to in section 5(1)(xxvi)	
8. Deposits with financial corporations referred to in section 5(1)(xxvii)	
TOTAL VALUE	
Less Amount exempt under Sec. 5(1A)	
Less Amount representing the value of any share in a closely held company deemed to be an 'urban asset' under rule 4* in Paragraph B of Part I of the Schedule to the Wealth-tax Act and added in Annexure IV	
NET VALUE	
9. (a) Securities, bonds, and debentures of local authorities (other than those mentioned in 5 above)	
(b) Shares (other than those mentioned in 4 above debentures or bonds of companies)	
10. (a) Moneys lent out by way of loans or advances and interest accrued due there on up to the valuation date :—	
.....	
.....	
.....	
(b) Any other amounts due to the assessee which remain unpaid—	
.....	
.....	
.....	
(c) Amounts covered by insurance policies which have become due and payable but not paid :—	
.....	
.....	
.....	
(d) Unclaimed dividends, interest, etc.	
(e) Moneys in hand or in banks (other than those mentioned in 7 above).....	

Description of the assets	Value Rs.
1	2
*11. Value of share or other interest as a partner in a partnership firm or member of an association of persons	
Less Amount deemed to be an 'urban asset' under rule 3* in Paragraph B of Part I of the Schedule to the Wealth-Tax Act and added in Annexure IV	
NET VALUE	
12. Annuity rights (other than pension or other annuity rights in respect of past employment as a salaried employee, annuities under the Annuity Deposit Schemes, 1964 and 1966 or other annuities which are not commutable)	
13. Tools and instruments, etc. to enable the assessee carry on his profession or vocation (Mention profession or vocation.) *Less* Exemption [Sec. 5(1)(x)] Rs. 20,000	
14. (a) Gold ornaments :— Description.....Weight.....	
(b) Gold in any form other than gold ornaments :—	
(c) Jewellery other than gold ornaments :— Description.....Weight.....	
15. *Other assets not included in the above items :—	
Total value taken to section B (column 3) of Part I of this Return.	

*Give details

(b) In Annexure XII, for sub-item (e) of item 2, the following sub-items shall be substituted, namely :—

(*e*) Money in hand

(*f*) Moneys in banks—

(*i*) Foreign branch of an Indian bank.....

Less Amount exempt to the extent mentioned in sub-section (1A) of section 5 to the extent not availed of against the value of movable property/non-business assets in Annexures V & VI)

.....

NET VALUE

(*ii*) Foreign Bank

"

[No. 63/F.No. 143(1)/71-TPL]

R. R. KHOSLA,
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1971

का०आ० 999.—धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धनकर नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम धन-कर (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये अप्रैल 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957, में, प्ररूप क में,—

(क) उपाबन्ध i, ii, iii, iv, v और vi के स्थान पर क्रमशः निम्न लिखित उपाबन्ध प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

उपाबन्ध 1

(इस विवरणी के भाग 1 का खण्ड क देखिए)

भारत में अवस्थित और निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी कारबार या वृत्ति की आस्तियों के रूप में धारित कृषि भूमि का विवरण*

@वर्णन और स्थिति	@बन्दोबस्त अभिलेखों के अधीन भू-खंडों का पहचान सं० या उनकी संख्या	क्या भूमि नगर क्षेत्र में स्थित है** 'हां' या 'नहीं' लिखें	क्षेत्रफल एकड़ों में	वार्षिक भू-राजस्व, यदि कोई हों	मूल्यांकन की तारीख को प्राक्कलित पूंजी-मूल्य
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

कुल मूल्य रु०

ऋण : धारा 5(1)(iv क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त रकम (उस सीमा तक, जहां तक उपाबन्ध 2 में कृषि-भूमियों के मूल्य पर उसका लाभ न उठाया गया हो)

रु०

इस विवरणी के भाग 1 के खण्ड क (स्तम्भ 2) में ले जाया गया शुद्ध मूल्य रु०

उपाबन्ध 2

(इस विवरणी के भाग 1 का खण्ड क देखिए)

उपाबन्ध 1 में सम्मिलित कृषि भूमि से भिन्न भारत में अवस्थित कृषि भूमि का विवरण*

@वर्णन और स्थिति	@बन्दोबस्त अभिलेखों के अधीन भू-खण्डों का पहचान सं० या उनकी संख्या	क्या भूमि नगर क्षेत्र में स्थित है** 'हां' या 'नहीं' लिखें।	क्षेत्रफल एकड़ों में	वार्षिक भूराजस्व, यदि कोई हो। रु०	मूल्यांकन की तारीख को प्राक्कलित पंजी-मूल्य रु०
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

कुल मूल्य रु०

ऋण : धारा 5(1) (ivक) के अधीन छूट प्राप्त रकम . रु०

इस विवरणी के भाग 1 के खण्ड क (स्तम्भ 3) में ले जाया गया शुद्ध मूल्य रु०

टिप्पण : उपाबन्ध 5 के नीचे का टिप्पण देखिए।

*कृषि भूमि की प्रत्येक मद एक के नीचे दूसरी अलग-अलग सूचीबद्ध की जानी चाहिए।

@सम्पत्ति का वर्णन और उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सम्पत्ति और उसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकें। बन्दोबस्त अभिलेखों में भ-खण्ड का संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक और जिस ग्राम/तहसील में भूमि अवस्थित है उसके नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

**नगर क्षेत्र से किसी नगरपालिका (चाहे उससे नगरपालिका, नगर-निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, कस्बा क्षेत्र समिति, कस्बा समिति या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अन्तर्गत स्थिति और 10,000 व्यक्तियों से अन्यून जनसंख्या वाला कोई क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त इस प्रकार अधिसूचित किसी ऐसी नगरपालिका छावनी बोर्ड की सीमाओं से बाहर 8 किलोमीटर तक की त्रिज्या के भीतर का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

उपाबन्ध 3

(इस विवरणी के भाग 1 का खण्ड 'क' देखिए)

भारत में अवस्थित और निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति की आस्तियों के रूप में धारित स्थावर सम्पत्ति (कृषि-भूमि से भिन्न) का विवरण*

@वर्णन और स्थिति	@सम्पत्ति की पहचान सं०	क्या सम्पत्ति नगर क्षेत्र में स्थित है** 'हां' या 'नहीं' लिखें	वार्षिक मूल्य	मल्यांकन की तारीख को प्राक्कलित पूंजी-मूल्य
			रु०	रु०
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

इस विवरणी के भाग 1 के खण्ड क (स्तम्भ 2) में ले जाया गया कुल मूल्य रु०

उपाबन्ध 4

(इस विवरण के भाग 1 का खण्ड क दें लिए)

उपाबन्ध 3 के अतर्गत आई हुई से भिन्न, भारत में स्थित स्थावर सम्पत्ति (कृषि-भूमि से भिन्न) का विवरण*

@वर्णन और स्थिति	@सम्पत्ति की पहचान सं०	क्या सम्पत्ति नगर क्षेत्र में स्थित है** 'हां' या 'नहीं' लिखें	वार्षिक मूल्य	मूल्यांकन की तारीख को प्राक्कलित पूंजी-मूल्य
			रु०	रु०
1	2	3	4	5

कुल मूल्य रु०

घटाइए : धारा 5(1)(iv) के अधीन छूट प्राप्त रकम . . रु०

जोड़िए : धनकर अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 के पैरा 8 में, क्रमशः नियम 3 और 4 के अधीन किसी फर्म के भागीदार की हैसियत में या व्यक्तियों के किसी संगम के सदस्य की हैसियत में हित-मूल्य को या; नगर आस्तियां समझे गए किसी अल्पजनधारित कम्पनी के किन्हीं शेयरों के मूल्य को रूपित करने वाली रकम रु०

इस विवरणी के भाग 1 के खण्ड क (स्तम्भ 3) में ले जाया गया शुद्ध मूल्य रु०

टिप्पण : कृपया उपबन्ध V के नीचे का टिप्पण देखिए।

*स्थावर सम्पत्ति की प्रत्येक मद एक के नीचे दूसरी अलग-अलग सूचीबद्ध की जानी चाहिए यदि भूमि या निर्माणों के किसी अधिकार के रूप में सम्पत्ति हो तो अधिकार का प्रकार और उसकी सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

@सम्पत्ति का वर्णन और स्थिति ऐसे होने चाहिए कि सम्पत्ति और उसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकें।

**नगर क्षेत्र से किसी नगर पालिका (चाहे उसे नगरपालिका, नगर-निगम अधिसूचित समिति क्षेत्र समिति, कस्बा क्षेत्र समिति, कस्बा समिति या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) या किसी

छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अन्तर्गत स्थित और 10,000 व्यक्तियों से अन्यून जन-संख्या वाला कोई क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त इस प्रकार अधिसूचित किसी ऐसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की सीमाओं से बाहर 8 किलोमीटर तक की त्रिज्या के भीतर का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ।

नियम 3 के अधीन जहां निर्धारिती के शुद्ध धन में किसी फर्म के भागीदार की हैसियत में या व्यक्तियों के संगम के सदस्य की हैसियत में उसके हित का मूल्य शामिल हो और ऐसी फर्म या संगम की आस्तियों में निर्माण और भूमि (कारबार के परिसर से भिन्न) या 'नगर क्षेत्र' में स्थित ऐसे निर्माण या भूमि में का कोई अधिकार शामिल हो, वहां, ऐसी फर्म या संगम में निर्धारिती का हित उस सीमा तक 'नगर आस्ति', समझा जाएगा जो फर्म या संगम में निर्धारिती के हित के मूल्य में वही अनुपात लागू करके, जो फर्म या संगम के कब्जे वाली नगर-आस्तियों के मूल्य का फर्म या संगम के शुद्ध धन में है, अवधारित की जाए ।

नियम 4 के अधीन, जहां निर्धारिती के शुद्ध धन में किसी अल्पजनधारित कम्पनी के किसी शेयर का मूल्य शामिल हो और ऐसी कम्पनी की आस्तियों में कोई नगर-आस्तियां शामिल हों वहां ऐसे शेयर का मूल्य उस सीमा तक नगर-आस्ति समझा जाएगा, जो शेयर के मूल्य में वह अनुपात लागू करके अवधारित की जाए जो कम्पनी की नगर आस्तियों के शुद्ध मूल्य का कम्पनी के शुद्ध धन में है ।

उपबन्ध 5

(इस विवरणी के भाग 1 का खण्ड ख के लिए)

भारत में अवस्थित और किसी कारबार की आस्तियों के रूप में धारित संगम सम्पत्ति का विवरण ।

आस्तियों का वर्णन	मूल्य रु०
1.	2
1. संयंत्र और मशीनरी	
2. फर्नीचर और फिटिंग	
3. पेटेंट अधिकार, प्रतिलिप्याधिकार आदि	
4. यान	
5. भण्डार, फालतू पुर्जे, औजार और उपकरण	
6. व्यापार,स्टाक	
7. फुटकर ऋणी	
8. निर्धारिती को देय उधार और अग्रिदाय	
9. हाथ नकदी और बैंक नगदी	
10. उन आस्तियों के सिवाय जिन पर धन-कर देय नहीं है अन्य सभी आस्तियां	
कुल	

ऋण : धारा 5 की उपधारा 1क में वर्णित सीमा तक छूट प्राप्त रकम (उस सीमा तक जहां तक उपाबंध i में जंगम सम्पत्ति (अकारबारीय आस्तियों) के मूल्य पर उसका लाभ न उठाया गया हो)

इस विवरणी के भाग 1 खण्ड ख (स्तम्भ 2) में लाया गया अतिशेष

टिप्पणी : तुलन-पत्र या शेष-परीक्षण पत्र की जैसा मूल्यांकन की तारीख को या मूल्यांकन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती लेखा बन्द करने की तारीख को हो, एक प्रति और संपरीक्षक की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, एक प्रति अवश्य संलग्न की जानी चाहिए ।

उपाबन्ध 6

(इस विवरण के भाग 1 का खण्ड ख देखिए)

भारत में अवस्थित जंगम सम्पत्ति (अकारबारीय आस्तियों) का विवरण ।

आस्तियों का वर्णन	मूल्य रु०
1	2
1. धारा 5(1)(xv) में विनिर्दिष्ट निक्षेप . . .	
2. धारा 5(1)(xvi) में निर्दिष्ट विनिधान . . .	
3. धारा 5(1)(xxii) में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियां . .	
4. धारा 5(1)(xxiii) में निर्दिष्ट भारतीय कम्पनियों में शेयर	
5. धारा 5(1)(xxiv) में निर्दिष्ट डिबेंचर . . .	
6. भारतीय यूनिट न्यास की यूनिटें . . .	
7. धारा 5(1)(xxvi) में निर्दिष्ट बैंकों में, जिनमें सहकारी बैंक आदि शामिल हैं, निक्षेप	
8. धारा 5(1)(xxvii) में निर्दिष्ट वित्तीय निगमों में निक्षेप . .	
कुल मूल्य .	
ऋण : धारा 5(1क) के अधीन छूट प्राप्त रकम . . .	
ऋण : धन-कर अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में नियम 4 के अधीन नगर-आस्ति समझे गए किसी अल्पजनधारित कम्पनी में के किसी शेयर के मूल्य को रूपित करने वाली और उपाबन्ध में जोड़ी गई रकम	
शुद्ध मूल्य . .	

1	2
9. (क) स्थानीय प्राधिकारियों की प्रतिभूतियां, बंधपत्र और डिबेंचर (उपरोक्त 5 में उल्लिखित से भिन्न)	
(ख) कम्पनियों के शेयर (उपरोक्त 4 में उल्लिखित से भिन्न) डिबेंचर या बंधपत्र	
10. (क) उधारों या अधिदायों के रूप में दिया गया धन और मूल्यांकन की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत देय ब्याज	
(ख) निर्धारिती को देय रकमें जो असंदत्त हों . .	
(ग) बीमा पालिसियों के अन्तर्गत आने वाली रकमें जो शोध्य और संदेय हो गई हैं किन्तु संदत्त नहीं की गई हैं	
(घ) न भुनाए हुए लाभांश, ब्याज आदि . . .	
(ङ) हाथ-नकदी या बैंक नकदी (उपरोक्त 7 में उल्लिखित से भिन्न)	
11. किसी भागीदारी फर्म में भागीदार की या किसी व्यक्ति-संगम के सदस्य की हैसियत में शेयर या अन्य हित का मूल्य	
ऋण : धनकर अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में नियम 3 के अधीन नगर आस्ति समझी गई और उपाबन्ध 4 में जोड़ी गई रकम .	
शुद्ध मूल्य .	
12. वार्षिकी अधिकार (पेंशन या वैतनिक कर्मचारी के रूप में भूतकालिक नियोजन के बारे में पेंशन या अन्य वार्षिकी अधिकारों से वार्षिकी निक्षेप स्कीम, 1964 और 1966 के अधीन वाली वार्षिकियों या अन्य वार्षिकियों से, जो संराशिकरणीय नहीं हैं, भिन्न)	
13. निर्धारिती को वृत्तियां व्यवसाय चलाने में समर्थ बनाने के लिए औजार और उपकरण आदि (वृत्ति या व्यवसाय का उल्लेख कीजिए) :—	
ऋण : छूट (धारा 5 (1) (X)	20,000
14. (क) स्वर्णाभूषण :—	
प्रकार वजन	
(ख) स्वर्णाभूषणों से भिन्न अन्य रूप में स्वर्ण :—	
प्रकार वजन	
(ग) स्वर्णाभूषणों से भिन्न रत्नाभूषण	
प्रकार वजन	
15. अन्य आस्तियां, जो उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत नहीं आई (ब्योरे दीजिए)	

इस विवरणी के भाग 1 के खण्ड ख (स्तम्भ 3) में ले जाया गया कुल मूल्य ।

1	2

(ख) उपबन्ध 12 में, मद 2 की उपमद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(ङ) हाथ नकदी

(च) बैंक नकदी

(छ) (i) भारतीय बैंक की विदेशी शाखा . . .

स्पष्टीकरण : धारा 5 की उपधारा (1क) में वर्णित सीमा तक छूट प्राप्त रकमें (उस सीमा तक जहां तक उपाबन्ध 5 और 6 में जंगम सम्पत्ति/अकारबारीय आस्तियों के मूल्य पर उसका लाभ न उठाया गया हो)

शुद्ध मूल्य— .

(ii) विदेशी बैंक

[सं० 63 फा०सं० 143(1)71—टीपीएल]

आर० आर० खोसला,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971